A 6/1

न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.135 / प्रा.पत्र / 2023 (GCMS No. 2023 / 196)	12.09.2023	19.02.2024

मुबारिक मोगिया पिता मोहम्मद अली मोगिया,
निवासी मुल्तानपुरा, तहसील व जिला मंदसौर (म.प्र.)
जर्ये मुख्त्यार आम शरीफ पिता फरियाद
निवासी मुल्तानपुरा तहसील व जिला मंदसौर (म.प्र.)

— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जर्ये लोक अभियोजक, बून्दी

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6—A राज.गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमयन) अधिनियम 1995

उपस्थिति —
प्रार्थी की ओर से श्री ऐजाज रिजवी, एडवोकेट।
अप्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

यह कार्यवाही प्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अवगत कराया कि पुलिस थाना सदर, बून्दी द्वारा प्रार्थी के वाहन बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नं0 एम.पी.14 जीसी 1559, इंजन नं. टीबीके4सी80694, चेसिस नं. एमए1जेडआर2टीबीके5सी16260 है, को जब्त कर लिया गया है। प्रकरण में पुलिस अपना अनुसंधान पूर्ण कर चुका है तथा अब पुलिस को उक्त वाहन की कतई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी उक्त जप्तशुदा पिकअप का एक मात्र रजिस्टर्ड स्वामी है, जिसे उक्त वाहन को अपनी सुपुदर्गी में लेने का अधिकार प्राप्त है। उक्त वाहन के जप्त रहने की दशा में उसके खराब होने की पूर्ण आशंका है, क्योंकि थाना सदर बूंदी के खुले प्रांगण में खडा रहने से उसके कल पुर्जो व टायर टयूब के खराब होने की पूर्ण संभावना है। जब भी अदालत हाजा उक्त वाहन को तलब करेंगें, प्रार्थी हाजिर अदालत होकर पेश करता रहेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान करे।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

A 6/2

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 135/2023 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2023/196 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया तथा केस डायरी पुलिस थाना सदर बून्दी से तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर बून्दी की ओर से प्रकरण संख्या 59/2023 धारा 5, 6, 8, 9 गोवंश अधिनियम एवं धारा 11(डी) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की पत्रावली प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात मामलें में बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि प्रकरण में पुलिस थाना सदर, बून्दी द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व का एक वाहन बोलेरो पिकअप को वजह सबूत जप्त कर रखा है। उक्त वाहन के कागजात जैसे रजिस्ट्रेशन, ड्राईविंग लाईसेंस, मुख्त्यारनामा आम की फोटोप्रतियां संलग्न पेश की हुई है। प्रकरण में पुलिस द्वारा तफ्तीश पूर्ण कर ली गई है तथा पुलिस को उक्त वाहन की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त वाहन पुलिस थाना के खुले प्रांगण में खडा हुआ है जिससे वाहन के कलपुर्जे खराब होने का पूर्ण संभावना है। प्रार्थी ही जर्ये मुख्तार आम उक्त वाहन का मालिक एवं स्वामी है जो सुपुर्दगी में लेने के लिए सक्षम व्यक्ति होने से न्यायालय के आदेशानुसार उचित सुपुर्दगीनामा व जमानतानामा प्रस्तुत करने को तैयार है। बाद सुपुर्दगी जब भी न्यायालय उक्त वाहन को तलब करेंगे, तब प्रार्थी समय समय पर न्यायालय में पेश कर देगा तथा समस्त शर्तो का प्रार्थी पूर्णतः पालना करेगा। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी को सिपुर्दगी में दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस के दौरान तथ्यात्मक रिपोर्ट थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, बून्दी का अवलोकन करवाते हुए कथन किया कि दिनांक 06.02.2023 को सूचना मिली कि बिजौलियों घाटे पर ग्रामीणों द्वारा पर एक बोलेरो पिकअप को गौवंश परिवहन करते हुए पकडा है। जाप्ते को मौके पर एक वाहन बोलेरो बिना नम्बरी व एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ सडक के किनारे खडी हुई मिली। उक्त वाहन के पीछे की फाटक खोलकर देखा तो डाले को लकडी के फन्टों से 2 भागों में बांट रखा था, जिसमें उपरी भाग में लहसून के कचरानुमा कट्टे भरे हुये मिले व निचले भाग में कुल 07 नग गौवंश (नर बछडे) 7 से 9 साल की आयु के निदर्यतापूर्वक ठूस ठूस कर भरे हुये पाये गये, कई बछडे घायल अवस्था में वाहन के बंधे हुये मिले जिनकी गर्दन एक–दूसरे के ऊपर पडी हुई थी, जिनके शरीर पर चोटों के निशान आये हुये थे। वाहन में पानी तथा चारे की कोई व्यवस्था नहीं थी। पकडेगये संदिग्ध व्यक्ति ने अपना नाम शरीफ पुत्र फरियाद निवासी ग्राम मुल्तानपुरा थाना वायडीनगर, जिला मन्दसौर का होना बताया व उक्त गौवंश को अपने वाहन में परिवहन करने वैध लाईसेंस या किसी नगर/पंचायत द्वारा गौवंश

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

वहन करने बाबत प्रशासनिक स्वीकृति व गौवंश का चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट नहीं होना पाया गया। संदिग्ध व्यक्ति ने गौवंश हट्टीपुरा बून्दी से भरना व बदनावर मध्यप्रदेश में बूचडखाने में ले जाना बताया। ऐसे में उक्त कृत्य धारा 5, 6, 8, 9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमयन) अधिनियम 1995 व धारा 11(डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम,1960 के अपराध की श्रेणी में आने से मुकदमा नम्बर 59/2023 दर्ज रजिस्टर कर उक्त वाहन मय गौवंश को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। गौवंश गोपाल गौ सेवा संस्थान, जिला बून्दी के अध्यक्ष को अस्थाई तौर पर सिपुर्द किया गया तथा वाहन को थाना परिसर में खडा करवाया गया। अतः अभियोग संख्या 59/2023 पर जप्तशुदा उक्त वाहन के निस्तारण की कार्यवाही की जावें।

न्यायालय द्वारा पत्रावली व केस डायरी तथा तथात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि बिना चिकित्सक परीक्षण रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के वाहन पिकअप में ठूस–ठूस कर निर्दयतापूर्वक कुल 07 गोवंश को भरकर गोकशी के लिए ले जाते पाया गया है। जिस पर पुलिस थाना सदर बूंदी द्वारा मुकदमा संख्या 59/2023 दिनांक 06.02.2023 पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। उक्त वाहन बोलेरों पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर MP 14 GC-1559 चेसिस नं. MAIZR2TBKK5C16260 का मालिक मुबारिक पुत्र मोहम्मद अली मोगिया जाति निहारगर मुसलमान नि.मुल्तानुपरा होना आर.सी. दिनांक 06.07.2019 से प्रकट है। प्रार्थी ने प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बाबत तफ्तीश पूर्ण हो जाना बताते हुये वाहन थाना परिसर सदर बूंदी में खुले में खडा होने से उसके खराब होने का अंदेशा जाहिर करते हुये सुपुर्दगी में दिये जाने का निवेदन किया है। ऐसे में सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमयन) अधिनियम 1995 की धारा 6–ए अनुसार जप्तशुदा वाहन बोलेरों पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर MP 14 GC-1559 को प्रार्थी की सुपुर्दगी में 10 लाख के जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर देने का आदेश निम्न शर्तो की पालना के अध्यधीन दिया जाता है :–

1. वाहन को रहन/बेचान नहीं करेगा।
2. बीमा अवधि समाप्त होने के पूर्व वाहन का बीमा रिन्युअल करवायेगा।
3. वाहन का रंगरोगन परिवर्तित नहीं करेगा।
4. जब भी न्यायालय वाहन को तलब करेगा, अपने खर्चे पर साक्ष्य हेतु पेश करेगा

आदेश आज दिनांक 19.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बूंदी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते